

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067 -

प्रथम अपील सं
संदर्भ संचिका सं.
अपीलकर्ता

CICOM/A/P/24/00072
CICOM/R/P/24/00225
श्री किशन लाल बैरवा,

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.05.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.05.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.06.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल, CPIO (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.06.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	18.06.2024
निर्णय की तारीख	22.07.2024

1. मांगी गई सूचना

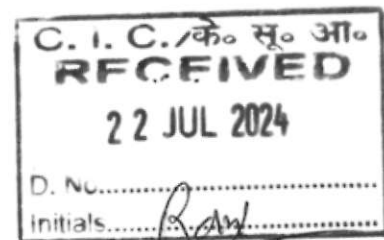
अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.05.2024 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

- आपके सूचना आयोग से पारित निर्णय - भूमि भोटे विरुद्ध सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अपील नंबर 946/ICPB/2007 F.No PBA/07/526 दिनांक 24.09.07 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
- भारत संघ बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त ILR 2009 मध्य प्रदेश के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे।

2. प्रदान की गई सूचना

"श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 05.06.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई :-

"Kindly provide any diary no. or file no. of your case which has been filed by you in the Central Information Commission so that the order of the Commission could be provided to you."



3. प्रथम अपील का आधार

“अपीलकर्ता, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।”

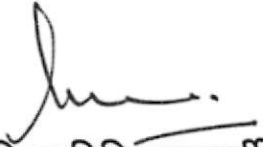
4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00225 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 22.07.2024


(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय
अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

o/c